विधान परिषद के द्वितीय सत्र-2025 के प्रथम गुरूवार हेतु निर्धारित श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-02 का उत्तरालेख।

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि जनपद-वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना कराये जाने हेतु विधान परिषद के प्रथम सत्र 2025 के द्वितीय गुरूवार हेतु निर्धारित श्रीमती अन्नपूर्णा सिंह उर्फ पूनम सिंह सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-07 के उत्तर के बिन्दु "ग" में बताया गया है कि उक्त अस्पताल का संचालन कराये जाने के संबंध में बजट आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है?	जी हां।
(ख) यदि हॉ, तो कब तक उक्त प्रक्रिया को पूर्ण कराते हुए उक्त अस्पताल के संचालन की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर अस्पताल का संचालन करायेगें?	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय कैंथी, वाराणसी के भवन निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-6/2025/634/001-1858689, दिनॉक-12-03-2025 के द्वारा रू0 41.30 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त के रूप में रू0 39.24 लाख की स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसके सापेक्ष कार्यदायी संस्था-उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के स्तर से निविदा, आदि की कार्यवाही प्रक्रिया में है। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर उक्त भवन में प्रश्नगत चिकित्सालय संचालित कराया जायेगा।
(ग) यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

डा0 दयाशंकर मिश्र "दयालु"
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आयुष विभाग।